निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 14 / 2025
दायरा दिनांकः–25.02.2025
निर्णय दिनांकः– 30.5.25

उनवान

1. पप्पीबाई आयु 40 साल पुत्री जगन्नाथ जाति कोली निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 30.5.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री रामनिवास वैष्णाव – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के शामलाती खाते व कब्जे काश्त की आराजी खाता सं० 387 की खसरा नं0 1096 रकबा 5.8799 हैक्टयर कुल किता 1 वाके माल निपानीयों तहसील छबडा जिला बांरा राज. मे स्थित है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया का उपरोक्त वर्णित आराजी मे राजस्व विभाग की गलती गफलत एवं लापरवाही के कारण फोती इन्तकाल मे पिता जगन्नाथ जी के फोत होने पर गलती से प्रार्थीया का नाम कौशल्याबाई दर्ज हो चुका है। जब कि बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड मे पप्पीबाई नाम दर्ज है । इस प्रकार से प्रार्थीया का नाम कौशल्याबाई नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर दुरूस्त कर पप्पीबाई सही नाम दर्ज होना अति आवश्यक है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड मे कौशल्याबाई के स्थान पर सही नाम पप्पीबाई दर्ज होना नितान्त आवश्यक है क्यो की इसके अभाव मे प्रार्थीया अपने समस्त अधिकारो से वंचित हो रही है। जैसे भूमि का मुआवजा, कृषि ऋण एवं सहकारी प्राप्त करना एवं अन्य सरकारी सहायता से वंचित हो रही है। इसीलिए पप्पीबाई नाम दर्ज होना आवश्यक है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित अप्रार्थी से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया तहसील छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 387 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड फोटो प्रति पहचान पत्र जन आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का 1/40 हिस्सा दर्ज है प्रार्थीया के पिता का फोती नामान्तरण खोलतें समय सहवन से प्रार्थीया का नाम नामान्तरण मं कोशल्या बाई दर्ज हो गया। जबकि वास्तविक नाम पप्पी बाई है प्रार्थीया के अन्य सरकारी दस्तावेजात मं पप्पी बाई दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में कोशल्या बाई दर्ज होने के कारण राज्य सकरार से मिलने वाले समस्त लाभो से प्रार्थीया को वंचित होना पड रहा है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कोशल्या बाई के स्थान पर पप्पी बाई दर्ज किया जावे। ताकि प्रार्थीया को राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ प्राप्त हो सके। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

तहसीलदार छबडा से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि उक्त प्रकरण में जॉच रिपोर्ट तैयार करने हेतु ग्राम निपानिया में मजमें आम उपस्थित हुआ मौके पर उपस्थित ग्राम वासियान एवं सह खातेदारान से पप्पी बाई उर्फ कोशल्या बाई के सही नाम की जानकारी प्राप्त की उपस्थित मौतविरान ने बताया कि गांव में पप्पी बाई को कोशल्या के नाम से जाना जाता है उक्त दोनो नाम एक ही महिला के है प्रार्थीया पप्पी बाई का नाम खाते में विरासत का नाम दर्ज करतं समय कोशल्या बाई दर्ज हो गया है प्रार्थीया के भाई नन्दलाल ने बताया कि उसकी बहिन को घर पर कोशल्या एवं पप्पी बाई दोनो नामो से बुलाया जाता है कोशल्या बाई नाम राशि का नाम था एवं पप्पी बाई सामान्य नाम रख दिया था इस प्रकार से पप्पी बाई एवं कौशल्या बाई एक ही महिला के दो नाम है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 387 में प्रार्थीया का नाम कोशल्या बाई पुत्री जगन्नाथ हिस्सा 9/40 जाति कोली सा0देह दर्ज है फोटो प्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र , जन आधार कार्ड, राशन कार्ड बैंक पास बुक में प्रार्थीया का नाम पप्पी बाई दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजात में पप्पी बाई दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड में कोशल्या बाई दर्ज है प्रार्थीय अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पप्पी बाई दर्ज करवाना चाहती है तहसीलदार छबडा ने भी रिपोर्ट में कोशल्या व पप्पी बाई दोनो नाम एक ही महिला के होना बताया। तथा दोनो नामों से बुलाया जाता है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम कोशल्या के स्थान पर कोशल्या बाई उर्फ पप्पी बाई दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

:: <u>क्रियात्मक आदेश</u> ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाकें ग्राम निपानिया तहसील छबडा के खसरा नम्बर 1096 रकबा 5.8799 है0 में प्रार्थीया का नाम कोशल्या बाई के स्थान पर कोशल्या बाई उर्फ पप्पी बाई दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा